

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल
आदेश


भोपाल, दिनांक 03/08/2017

क्रमांक एफ-5(ए)/6/2012/ई/चार, मध्यप्रदेश वित्त सेवा कनिष्ठ वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को म.प्र.वित्त सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1965 के नियम 36 (ख) के अनुसार वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु वर्ष 2013 में चयन समिति की बैठक आयोजित की जाकर 1 जनवरी, 2013 से वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

राज्य शासन द्वारा वर्षवार रिक्तियों के आधार पर वरिष्ठता क्रम में वित्त सेवा अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु चयन समिति की रिब्यू बैठक आयोजित की गई थी जिसमें कतिपय अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन तत्समय उपलब्ध न होने से परिभ्रमण में विचार किये जाने का निर्णय लिया गया था। निम्नलिखित अधिकारियों के वांछित वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत उन्हें 1 जनवरी, 2012 से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 15600-39100 ग्रेड-पे रुपये 6600 स्वीकृत किया जाता है :-

स.क्र.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान दिये जाने का दिनांक
1.	श्री रमेश कुमार मिश्रा	1.1.2012
2.	श्री जे.एन.रूईकर	1.1.2012 (सेवानिवृत्त 31.11.2012)


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा
आदेशानुसार,


(अनिरुद्ध मुकुर्जी)
प्रमुख सचिव

म.प्र. शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 03/08/2017

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-5(ए)/6/2012/ई/चार,
प्रतिलिपि :-

1. माननीय वित्त मंत्रीजी के निज सचिव,
2. प्रमुख सचिव, वित्त के स्टाफ आफिसर,
3. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. संबंधित विभाग -----
5. संबंधित कार्यालय -----
6. संबंधित कोषालय अधिकारी -----
7. संबंधित अधिकारीगण -----
8. गार्ड फाईल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपिपित।


प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग